राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–3/2010 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

12 6 AUG 2011

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कर्न्वजेन्स द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में आवश्यक संशोधन कर अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 (iv) में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल परिवारों हेतु व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की मार्गदर्शिका के अनुसार कर्न्वर्जेन्स कर योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा नियमों में संशोधन कर अनुमत किये जाने की प्रत्यांशा में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कर्न्वजेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. कार्य के लिए लाभार्थी का लिखित में आवेदन संलग्न प्रपत्र **परिशिष्ठ–1** में करना आवश्यक होगा एवं व्यक्तिगत शौचालय हेतु लीच पिट का निर्माण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा अनुमोदित ड्राईंग (परिशिष्ठ–2) के अनुसार ही कराना होगा।
2. इस कार्य का पूर्ण तकमीना, तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 के अनुसार तैयार किया जायेगा एवं इसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उक्त लीच पिट के निर्माण हेतु 6 अकुशल मानव दिवस एवं 2 कुशल मानव दिवस सृजन की अनुमति होगी।
3. कार्य को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नही होने की स्थिति में भी कराया जा सकेगा परन्तु इसे संशोधित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराना होगा।
4. लाभार्थी परिवार का इस कार्य पर कार्य किया जाना आवश्यक होगा एवं लाभार्थी परिवार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य की मांग हेतु फार्म न. 6 में कार्य की मांग की जायेगी। कार्य हेतु 6 अकुशल मानव दिवस एवं 2 कुशल मानव दिवस के लिए ई–मस्टररोल नियमानुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
5. कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होगी। कार्य समाप्ति के उपरान्त, कार्य की माप नियमानुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा की जायेगी एवं उसका इन्द्राज माप पुस्तिका में किया जायेगा।
6. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय के कार्य को डवटेल करने से बी.पी.एल. परिवारों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत मिलने वाले रू. 3200/– के अलावा नरेगा के तहत स्वयं की मजदूरी एवं कुशल/अर्द्वकुशल श्रमिकों की 2 दिवस की मजदूरी भी प्राप्त हो सकेगी (अर्थात रू. 3200+ लगभग रू. 1200 = रू. 4400) एवं गैर बी.पी.एल. परिवारों को उक्तानुसार मजदूरी का लगभग रू. 1200/– का लाभ मिल सकेगा।

कृपया इस संबन्ध में सभी विकास अधिकारियों, संबन्धित अभियन्ताओं, सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक एवं ग्राम रोजगार सहायक (विशेषकर महिला जनप्रतिनिधियों) आदि को अवगत कराने का श्रम करें एवं उक्तानुसार कार्य सम्पादित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कर्न्वजेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र।

सरपंच
ग्राम पंचायत ————————
पंचायत समिति ———————
जिला————————————

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कर्न्वजेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

मैं अपने आवास पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कर्न्वजेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराना चाहता हूँ। संबन्धित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण मेरे लिए स्वीकृत किया गया है।
2. मै बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ।
3. मेरा निवास स्थान इस ग्राम पंचायत के ग्राम ———————के मौहल्ला/वार्ड/गली —————में है।
4. प्रार्थी का परिवार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवार है एवं परिवार का जॉबकार्ड कमांक ———————————— है।
5. मै/मेरे परिवार के सदस्य इस कार्य हेतु स्वयं अकुशल कार्य करने को तैयार है एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु कार्य की मांग का प्रपत्र–6 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

<u>कार्यालय उपयोग हेतु</u>

प्रार्थना पत्र प्राप्ति कमांक ————————   दिनांक ——————

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कर्न्वजेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु श्री/श्रीमती ———————— ———————— पुत्र/पत्नि श्री —————————————— गांव ————————जिसका जॉबकार्ड कमांक ———————————— है, का प्रार्थना पत्र दिनांक ————————को प्राप्त हुआ।

दिनांक   हस्ताक्षर सरपंच   हस्ताक्षर ग्राम सेवक

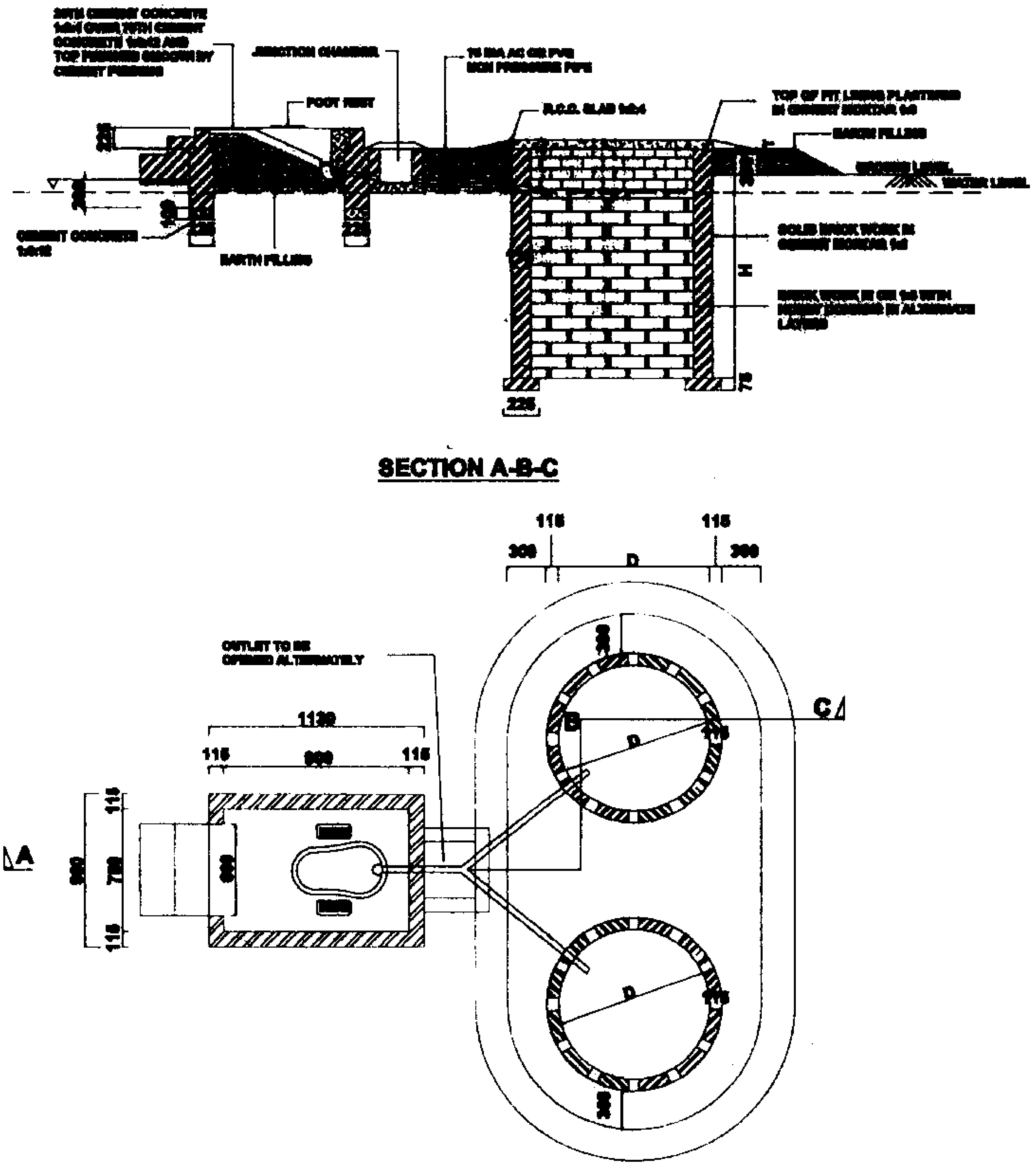

FIG NO. 10.1 : TWIN PIT POUR FLUSH TYPE TOILETS